



फर्द अहकाम
 उपखण्ड अधिकारी, बिराटनगर (जयपुर)
 नाम R/S गीतादेवी कांठ
 154/2014 प्राथमिक

क आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>13/11/19 वसुलाप उप। कास्ते पेक सेने जवाब प्रा का दिनांक 24/11/19 को पेक से तब तक पूर्व आदेश प्रतीत रहेगा।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी बिराटनगर (जयपुर) </p> <p>24/11/19 वसुलाप उप। बरस प्राण बुनी गयी फावली का अपलोका किया गया। प्रस्तुत प्रमाण के आधार डाए दिनांक 09/11/14 के अन्तर्गत अस्थापी निषेधाज्ञा फारित किया गया है। अतः दोनो पक्षों को नफेस शूल वादा, पाबन्द किया जात है कि इस आधार डाए पूर्व के फारित अन्त आदेश दिनांक 09/11/14 के एषापी कानूनी अर्थात स्वीकार किया जात है। फावली फेसल युक्त होकर हकिकत दावा रहे नम्बर से कत से निर्णय पुले आधार में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी बिराटनगर (जयपुर) </p>	

